संख्या-12/2024/I/817160/2024/001-77-4099-16-2024

प्रेषक,

जय वीर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद-गौतमबुद्धनगर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 06.12.2024

विषयः- गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, जनपद-गौतमबुद्धनगर में आर्टीफिशियल इन्टेलीजेन्स सेन्टर की स्थागना हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अधिकारी, गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-जीबीयू/003/वित्त/7.7/बजट/2024-3011, दिनांक 07.08.2024 तथा प्रभारी, ए आई. सेक्टर, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-जीबीयू-002/प्रशा./नि.क./009/2024-416, दिनांक 09.08.2024 एवं संख्या-जीबीयू-003/वित्त/7.7/20243021, दिनांक 10.08.2024 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्ययक में नयी मांग के माध्यम से लेखाशीर्षक 2202-80-800-04 गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर में आर्टीफिशिलय इन्टेलीजेन्स सेन्टर की स्थापना हेतु अनावर्तक (एकबारीय) अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रु. 50.00 करोड़ के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त लेखाशीर्षक 2202-80-800-04 गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर में आर्टीफिशिलय इन्टेलीजेन्स सेन्टर की स्थापना हेतु अनावर्तक (एकबारीय) अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रु. 5000.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु रू0 2500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा प्रश्निगत अवमुक्तत धनराशि गौतमबुद्ध विश्विविद्यालय, गौतमबुद्ध नगर को अन्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0- 1/2024/ बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि को निवर्तन पर रखा जाना मात्र किसी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा स्थाई आदेशों के अन्तर्गत सम्बन्धित/सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो, उन मामलों में व्यय किये जाने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

(4) यदि किसी व्यय के लिए शासन स्तर से वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जाय, तो सन्दर्भित व्यय के लिये आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की उपलब्धता इंगित करते हुए लेखाशीर्ष का भी उल्लेख प्रस्ताव में अंकित किया जाय।

(5) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(6) धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

(7) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए कुलसचिव/कुलपति स्वयं उत्तरदायी होगें।

(8) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी कुलसचिव/कुलपति अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 25,00,00,000 (रुपये पच्चीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 2202808000400 गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, गौतमबुद्ध नगर में आर्टीफिशियल इन्टेलीजेन्स सेन्टर की स्थापना हेतु अनावर्तक (एकबारीय) अनुदान **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या E-6-125-X-2024-25, दिनांक 06-12-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(जय वीर सिंह),
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-12/2024/I/817160/2024/001-77-4099-16-2024तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- कुलपति/कुलसचिव, गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर।

2- कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

3- वित्ति अधिकारी, गौतमबुद्ध विश्विविद्यालय, गौतमबुद्धनगर।

4- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।

5- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय वीर सिंह),
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।